

क्रमांक एस 6-157/सा.रा.प्र-241/90

मोपाल, गैदनाई

प्रति,

प्रतिरिक्त,

लेटर - कलकत्ता,

कलकत्ता - 700 001

विषय:-आयुध निर्माण कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति कलकत्ता की आयोजित प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन वावत ।

-----

राज्य शासन द्वारा सहकारी सहलील मुहबारा है कलकत्ता जिला जयलपुर के कलकत्ता 51/13, 301/1, 301/2, 302/1, 303/1, 303/2, 304/2, 305 कुल रकबा 3.885 हेक्टर से से 2,10,000 वर्गफुट भूमि की प्रख्याति रुपये 3,93,000=00 है रुपये तीन लाख तीरान्त्रये हजार है तथा वार्षिक भू-भाटक रुपये 19,650=00 है रुपये उन्नीस हजार है तो समाप्त है लेटर अध्यक्ष आयुध निर्माणी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति कलकत्ता के आयोजित प्रयोजन हेतु निम्नानुसार सामान्य शर्तों के साथ आवंटन की जायेगी तथा शर्तों पर शासन की स्वीकृति प्रदान करा है :-

- 1] भूमि का आवंटन सहकारी समिति के सदस्यों को उनके सदस्यता प्राप्त होने के क्रम में ही किया जाना होगा और यह सुनिश्चित करने कि लिए भूमि आवंटन के आवेदन पत्र के साथ समिति इस क्रम में सदस्यों की सूची प्रस्तुत करेगी ।
  - 2] शासन द्वारा सहकारी समिति के किसी सदस्य को वायदावाजी के भू-कांड का आवंटन नहीं किया जाएगा ।
  - 3] सहकारी समिति अपने किसी सदस्य को 1500 वर्गफुट से अधिक का भू-कांड आवंटित नहीं करेगी ।
  - 4] समिति अपने सदस्यों से प्रति यह बत रक्खेगी कि उनके अथवा उनके किसी निज सम्बन्धी को प्रदेश में अन्य कोई रिहायशी भू-कांड अथवा मकान नहीं है
- 2/- आवेदक जारी होने की तिथि से आवेदक /संस्था से प्रख्याति को सम्पूर्ण राशि व भू-भाटक की राशि 6 माह के अन्दर जमा करावे, यदि वे निर्धारित अवधि तक प्रख्याति व भू-भाटक जमा नहीं करते हैं तो आवंटन आवेदक स्वयं निरस्त माना जायेगा ।

3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के सु-ऑफिस क्रमांक 157/12.307/CF-5/90  
द्वारा महालेखाकार मध्यप्रदेश खास तौर पर को सु-ऑफिस को  
किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,

श्री २०० सी० सुब्बा

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।

सु-ऑफिस क्रमांक 6-157/खा 1/खा-2सी/90 भागीरथ, दिनांक 21/7/90

प्रति निवेदन:-

21.9.90

1/- उक्त आदेशित प्रतियों सहित सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग  
कोषाल की ओर आदेश की प्रती महालेखाकार मध्यप्रदेश खास तौर पर को  
सु-ऑफिस करने हेतु अर्पित।

2/- आमुता जयपुर अंगना बालपुर की ओर उनके आपन क्रमांक 848/रक -3/  
90 दिनांक 16 जुलाई 90 के सन्दर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
किया गया।

3/- अतः, आमुता जयपुर की ओर जारी सूचि निर्माण सहकारी समिति सर्वांगी कटनी  
जिला जयलपुर की ओर सूचनाएं।

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।